[2013] 9 एस.सी.आर. 437 एम एस।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8246 of 2013)

[के. एस. राधाकृष्णन और ए.के. सिकरी, जे. जे.]

एस.10 (1)- श्रम न्यायालय को विवादों का संदर्भ- श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार- समझाया गया।

एस.10(1) - श्रम न्यायालय में विवाद का संदर्भ-दोषपूर्ण संदर्भ - आयोजितः तत्काल मामले में, संदर्भ पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को प्रतिबिंबित नहीं करता है- इसके विपरीत, जिस तरीके से संदर्भ को संशोधित किया गया है, वह अपीलार्थी को अपना मामला सामने रखने और साबित करने से रोक देगा क्योंकि यह श्रम न्यायालय को उन मुद्दों पर जाने से रोक देगा। संदर्भ का यह भी तात्पर्य है कि उपयुक्त सरकार ने स्वयं विवादास्पद मुद्दों का निर्णय किया है और एक न्यायनिर्णायक की भूमिका ग्रहण की है जो अन्यथा श्रम न्यायालय/ औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए आरक्षित है- संदर्भ दोषपूर्ण होने के कारण रद्द कर दिया गया है- उपयुक्त सरकार को नए सिरे से संदर्भ बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें निर्णय में चर्चा किए गए विवाद के वास्तविक सार को शामिल किया गया है।

अपीलार्थी ने अपना सीमेंट प्रभाग मिस लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया जो दिनांक 9.3.1999 के व्यापार अंतरण करार (बी. टी. ए.) के संदर्भ में, जो 1.11.1999 से प्रभावी होना था। अपीलार्थी के अनुसार, एफ समझौते के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी संख्या सहित इसके सीमेन डिवीजन में काम करने वाले 8-82 कर्मचारी भी मिस लाफार्ज द्वारा लिया गया है और बाद में उन्हें नियुक्तियों के नए पत्र जारी किए गए हैं। इसके बाद उक्त कर्मचारियों ने मांग का बयान 15.9.2003 को प्रस्तुत किया। एक अपीलार्थी ने कहा कि उनकी सहमति लिए बिना उन्हें मेसर्स लाफार्ज के साथ काम करने का निर्देश दिया गया था और उन्हें अपीलार्थी कंपनी के साथ वापस ले जाया जाना चाहिए।

सुलह कार्यवाही विफल हो गई है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के दो संदर्भ को श्रम न्यायालय को इस आशय का न्यायनिर्णयन करने के लिए बनाया गया थाः अपीलार्थी के कामगारों को मेसर्स लाफार्ज को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात् सेवा में वापस लेना या न लेना न्यायोचित था और यदि नहीं, तो वे किस राहत के हकदार थे।

अपीलार्थी ने संदर्भों को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। अपीलार्थी का रुख यह था कि जिस तरीके से संदर्भ दिए गए थे, वह पक्षों के बीच विवाद की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता नहीं था, क्योंकि श्रमिक अब अपने रोजगार में नहीं थे इसलिए, अपीलार्थी कंपनी के खिलाफ शिकायत या कोई विवाद नहीं उठा सकते थे। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि श्रम न्यायालय पक्षों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा और संदर्भ का जवाब देगा। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अंतर- न्यायालय अपील को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहाः

1.1. उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि पक्षों के बीच एफ औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है। तत्काल मामलों में, अपीलार्थी उत्तरदाताओं को अपना कर्मचारी होने से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का कहना है कि वे अपीलार्थी कंपनी के कर्मचारी बने हुए हैं। यह, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (के) के अनुसार, अपने आप में एक "विवाद" होगा जिसे न्यायनिर्णयन के माध्यम से निर्धारित किया जाना है। एक बार जब इन संबंधित तर्कों को श्रम विभाग के समक्ष उठाया गया, तो इस विवाद का निर्णय करना और न्यायिक भूमिका निभाना श्रम विभाग/ उपयुक्त सरकार की शक्तियों के भीतर नहीं था। इसलिए, विवाद के इस पहलू पर भी श्रम न्यायालय को निर्णय लेने की आवश्यकता है

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं है। बेशक, इस तरह के विवाद में, मेसर्स लाफार्ज भी एक आवश्यक दल बन जाता है। [पैरा 10 और 11) [444-डी; 445-ए-डी]

1.2. औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण/ श्रम न्यायालय उस क़ानून का एक हिस्सा है। यह उसे दिए गए संदर्भ के आधार पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है। न्यायाधिकरण को इस संदर्भ विषय के दायरे में खुद को सीमित रखना होगा और इससे आगे नहीं जा सकता है। इसलिए, यह उपयुक्त सरकार का बाध्यकारी कर्तव्य बन जाता है कि वह संदर्भ को उचित रूप से बनाए जो पक्षों के बीच "विवाद" की वास्तविक/ सटीक प्रकृति को दर्शाता है। यद्यपि अधिकरण का अधिकार क्षेत्र संदर्भ की शर्तों तक ही सीमित है, लेकिन साथ ही यह आनुषंगिक मुद्दों में जाने के लिए सशक्त है। [पैरा 13,18 और 19) [446- सी; 449- एफ, डी जी-एच]

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। 1999 (5) पूरक। एससीआर 87 = 2000 (1) एससीसी 371; ~ मूलचंद खराती राम अस्पताल बनाम श्रम आयुक्त और अन्य। 2000 (2) अनुपूरक। जेटी 204 = 2002 (10) धारा 708 पर भरोसा किया।

-भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य पर निर्भर। 1982 (एल. ए. बी.) आई. सी. 1309; मूलचंद खराती राम अस्पताल बनाम श्रम आयुक्त और अन्य। एफ 1998 (III) एलएलजे 1139 डेल - निर्दिष्ट।

1.3 तत्काल मामले में मुद्दा यह है कि क्या प्रत्यर्थी कामगारों को केवल अपीलार्थी द्वारा मेसर्स लाफार्ज को स्थानांतरित किया गया या उनकी सेवाओं को इसके द्वारा ले लिया गया और वे इसके कर्मचारी बन गए। । दूसरा आनुषंगिक प्रश्न जो आगे आएगा वह यह होगा कि क्या प्रत्यर्थी- कामगारों को वेतन आदि सहित उनकी सेवा शर्तों के मामले में अपीलार्थी के साथ सेवाओं में वापस शामिल होने का अधिकार है। जिनका वे अपीलार्थी के साथ आनंद ले रहे थे, वे मेसर्स लाफार्ज द्वारा संरक्षित नहीं हैं। । यदि यह सिद्ध हो जाता है कि

कि उनकी सेवा शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो एक और सवाल यह होगा कि क्या वे मेसर्स लाफार्ज से सेवा लाभ/ सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। लाफार्ज या उन्हें अपीलार्थी के पास वापस जाने का अधिकार है। [पैरा 19] [449-एच; 450-ए-सी]

1.3 इस न्यायालय की राय है कि संदर्भ स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है क्योंकि यह पक्षों के बीच विवाद की सही और सटीक प्रकृति नहीं बताता है। इसके विपरीत, जिस तरीके से संदर्भ लिखा गया है, उससे पता चलता है कि यह पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि सी प्रत्यर्थी कर्मचारी अपीलार्थी के कर्मचारी बने रहेंगे और आगे यह कि उनकी सेवाओं को केवल मेसर्स लाफार्ज को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह अपीलार्थी को अपना मामला पेश करने और साबित करने से रोकेगा क्योंकि यह श्रम न्यायालय को उन मुद्दों पर जाने से रोकेगा। इसका तात्पर्य यह भी है कि 'घ' यह मानकर, उपयुक्त सरकार ने स्वयं उन विवादास्पद मुद्दों का निर्णय किया है और एक न्यायनिर्णायक की भूमिका ग्रहण की है, जो अन्यथा श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण के लिए आरक्षित है। [पैरा 20] [450-सी-ई]

1.4। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। संदर्भ को रद्द कर दिया गया है। उपयुक्त सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह फैसले में चर्चा किए गए विवाद के वास्तविक सार को शामिल करते हुए नए सिरे से संदर्भ बनाए। [पैरा 21] [450-एफ-जी]

मामला कानून संदर्भः

2000 (2) पूरक जेटी 204	पैरा 17
1982 (एलएबी) आईसी 1309	पैरा 14
1998 (आईएल) एलएलजे 1139 डेल	पैरा 16
1999 (5) पूरक एस. सी. आर. 87	पैरा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2013 का 8246.

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.06.2011 से एलपीए नं 2006 का 511

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

बनाम

स्टेट ऑफ झारखंड

सीए नं. 2013 का 8247 के **साथ.**

अपीलार्थी की ओर से राजू रामचंद्रन।

के राधाकृष्णन, एस.के. वर्मा, एम.ए. चिन्नासामी, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, तपेश कुमार सिंह उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय ए.के. सिकरी, जे। 1. द्वारा दिया गया था।

अनुमति दे दी गई।

2. हमने पक्षों के वकील को विस्तार से सुना। इसमें शामिल मुद्दे की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसका हमारे द्वारा उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, कुछ स्वीकृत तथ्यों पर ध्यान देना पर्याप्त होगा, विस्तृत तथ्यात्मक चर्चा से बचना होगा जो अनावश्यक रूप से इस निर्णय पर बोझ डाल सकता है।

3. हमारे समक्ष अपीलार्थी मेसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टाटा स्टील लिमिटेड के रूप में पुनः नामित।) है। इस्पात के निर्माण के अलावा, इसका मुख्य व्यवसाय, अपीलार्थी कंपनी का सीमेंट प्रभाग भी था। वैश्वीकरण, ईउदारीकरण के युग में और आर्थिक मजबूरियों के कारण, अपीलार्थी ने विनिवेश की नीति का पालन करने का निर्णय लिया।

इन बातों से प्रभावित होकर इसने अपने सीमेंट डिवीजन को दिनांक 9.3.1999 का व्यापार अंतरण करार (बीटीए) द्वारा , जो 1.11.1999 से प्रभावी होना था को लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। इसके बाद यह मेसर्स लाफार्ज के रूप में संदर्भित किया जाएगा। यह इस शर्त पर था कि लाफार्ज औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफएफ के संदर्भ में कंपनी के कर्मियों को संभाल लेगा। यह इस शर्त पर था किः

(a) कंपनी के कर्मियों की सेवाएं इस तरह के स्थानांतरण से बाधित नहीं होंगी या बाधित नहीं मानी जाएंगी।

(b) इस तरह के स्थानांतरण के बाद लागू सेवा के नियम और शर्तें कंपनी के कर्मियों के लिए किसी भी तरह से कम अनुकूल नहीं हैं, जो स्थानांतरण से तुरंत पहले उन पर लागू होते हैं।

(ग) इसमें अंतरण की शर्तों के तहत, खरीदार कानूनी रूप से कंपनी के कर्मियों को उनकी छंटनी की स्थिति में इस आधार पर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है कि सेवाएं जारी रखी गई हैं और व्यवसाय के हस्तांतरण से बाधित नहीं हुई हैं।

4. अपीलार्थी द्वारा सीमेंट प्रभाग को मेसर्स लाफार्ज को हस्तांतरित करने के इस निर्णय के बारे में सीमेंट प्रभाग के कर्मचारियों को भी सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, इस समझौते के परिणामस्वरूप, व्यवसाय के हस्तांतरण के साथ, सीमेंट प्रभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मेसर्स लाफार्ज द्वारा ले लिया गया और मेसर्स लाफार्ज ने उन्हें नियुक्तियों के नए पत्र जारी किए। इनमें प्रतिवादी संख्या 8- 82 शामिल थी जिन्होंने मेसर्स लाफार्ज के साथ काम करना शुरू किया।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्रमिक मेसर्स लाफार्ज में कार्य स्थितियों से संतुष्ट नहीं थे। लाफार्ज। उन्होंने 15.9.2003 को अपीलार्थी को मांग का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि उन्हें मेसर्स लाफार्ज के साथ काम करने का निर्देश दिया गया था। इन उत्तरदाताओं/ कर्मचारियों के अनुसार,बिना उनकी सहमति लिए उन्हें यह धारणा दी गई थी कि वे मेसर्स लाफार्ज में विभिन्न विभागों में काम करेंगे। उस प्रतिष्ठान के सुचारू संचालन के लिए कुछ दिनों के लिए लाफार्ज में , जो अपीलार्थी संगठन का एक हिस्सा था उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने उक्त प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हुए इन आदेशों का पालन किया था। हालाँकि, संबंधित कर्मचारियों को मिस लाफार्ज द्वारा वे सभी लाभ नहीं दिए गए जो वे अपने मूल विभाग में प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार, अपीलार्थी कंपनी के साथ उन्हें वापस लेने की मांग की गई। कंपनी ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन कर्मचारियों ने अपनी शिकायतें उठाते हुए उप श्रम आयुक्त, जमशेदपुर से संपर्क किया और विवाद को हल करने का अनुरोध किया।

6. अपीलार्थी को सुलह कार्यवाही में भाग लेने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। अपीलार्थी उपस्थित हुआ और उसने यह दलील ली कि 1.11.1999 को उसे सीमेंट प्रभाग को मेसर्स लाफार्ज को बेच दिया गया था और ये मेसर्स लाफार्ज के कर्मचारी बन गए थे। यह भी कहा गया कि मेसर्स लाफार्ज द्वारा नए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने अपीलार्थी को कर्मचारी होने से रोक दिया। चूंकि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो सका और सुलह की कार्यवाही विफल हो गई, विफलता रिपोर्ट श्रम विभाग द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप दो संदर्भ आदेश आए, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवादों को निर्णय के लिए श्रम न्यायालय, जमशेदपुर को भेज दिया गया।

विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के तहत निम्नलिखित शर्तों और संदर्भों के साथ निर्दिष्ट किया गया था।

> "क्या मेसर्स लाफार्ज में स्थानांतरण के बाद मेसर्स टिस्को लिमिटेड, जमशेदपुर के श्री के. चंद्रशेर राव और 73 अन्य कामगारों (सूची संलग्न) को उनके अपने टिस्को प्रबंधन द्वारा सेवा में वापस नहीं लिया जाएगा। क्या लाफार्ज इंडिया लिमिटेड उचित है? यदि नहीं तो वे किस राहत के हकदार हैं?
> अन्य संदर्भ भी समान रूप से लिखे गए थे।

7. अपीलार्थी के अनुसार, जिस तरीके से संदर्भ दिए गए हैं, वह पक्षों के बीच विवाद की वास्तविक प्रकृति को नहीं दर्शाता है। यह उनका निवेदन था कि संबंधित कर्मचारी अब अपने रोजगार में नहीं थे और इसलिए, अपीलार्थी कंपनी के खिलाफ शिकायत या कोई विवाद नहीं उठा सकते थे और इस प्रकार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी कामगारों के बीच कोई औद्योगिक विवाद मौजूद नहीं था। उन्होंने एक विशिष्ट दलील दी कि यदि मेसर्स लाफार्ज ने सुनिश्चित सेवा शर्तें प्रदान नहीं कीं, ये उत्तरदाता केवल मेसर्स लाफार्ज के खिलाफ विवाद को उठा सकते थे। मेसर्स लाफार्ज जो उनका वास्तविक नियोक्ता था लाफार्ज को वर्तमान कार्यवाही में पक्षपाती भी नहीं बनाया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, सुलह अधिकारी ने अभिलेख सामग्री पर विचार नहीं किया था और अपने दिमाग को लागू किए बिना विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिससे प्रश्न में संदर्भ प्राप्त हुआ। उस आधार पर, अपीलार्थी द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कर उक्त संदर्भ को रद्द करने की मांग की ।

8. ये रिट याचिकाएँ विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आईं जिन्होंने इन रिट याचिकाओं को इस अवलोकन के साथ खारिज कर दिया कि श्रम न्यायालय जो पहले से ही मामले में विचाराधीन था, पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करने और श्रम न्यायालय के समक्ष संदर्भ कार्यवाही में पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर के बाद बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले सकता है और संदर्भ का उत्तर दे सकता है। अपीलार्थी द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपीलों को उक्त न्यायालय की खंड पीठ द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि चूंकि पक्षकार के बीच विवाद है इसलिए, विद्वत एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

9. वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार हमारे सामने इस तरह हैं।

10. प्रारंभ में, हम यह अवलोकन करना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही है कि पक्षकारों के बीच औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है, जहाँ तक कि श्रमिकों का तर्क है कि वे अपीलार्थी की सेवा करने के हकदार हैं क्योंकि वे अपीलार्थी के कार्यकर्ता बने रहे और गलत तरीके से उन्हें मेसर्स लाफार्ज को "हस्तांतरित" किया गया था। दूसरी ओर, अपीलार्थी का तर्क है कि सीमेंट विभाग को बंद करने और उसे मेसर्स लाफार्ज को स्थानांतरित करने के साथ लाफार्ज उन श्रमिकों के साथ जिन्होंने हस्तांतरी कंपनी के कर्मचारी बनने के लिए अपनी सहमति दी थी, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के संबंध समाप्त हो गए और इसलिए, श्रमिकों को अपीलार्थी के पास वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (के) के अर्थ के भीतर "विवाद" है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (के) जो औद्योगिक विवाद को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करती निम्न प्रकार हैः

"2 (के)" औद्योगिक विवाद "का अर्थ है नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच, नियोक्ताओं और कामगारों के बीच, या कामगारों और कामगारों के बीच कोई विवाद या अंतर, जो किसी व्यक्ति के रोजगार या गैर-रोजगार या रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों से जुड़ा है।"

टाटा आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड

बनाम

झारखंड राज्य [ए.के.] सिकरी, जे।]

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, औद्योगिक विवाद नियोक्ता और उसके कामगारों के बीच होना चाहिए।

यहाँ, अपीलार्थी उत्तरदाताओं को अपना कर्मचारी होने से इनकार कर रहा है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का कहना है कि वे अपीलार्थी कंपनी के कर्मचारी बने हुए हैं।

यह अपने आप में एक "विवाद" होगा जिसे निर्णय के माध्यम से निर्धारित किया जाना है। एक बार जब इन संबंधित तर्कों को श्रम विभाग के समक्ष उठाया गया था, तो यह श्रम विभाग की शक्तियों के भीतर नहीं था- उपयुक्त सरकार इस विवाद का निर्णय करती है और न्यायिक भूमिका ग्रहण करती है क्योंकि इसकी भूमिका श्रम न्यायालय औद्योगिक न्यायाधिकरण को मामले को भेजने के प्रशासनिक कार्य के निर्वहन तक ही सीमित है। इसलिए, विवाद के इस पहलू पर भी श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। बेशक, इस तरह के विवाद में, मेसर्स लाफार्ज भी एक आवश्यक पक्ष बन जाता है।

12. ऐसा कहने के बाद, हमारी राय है कि संदर्भ की शर्तें उचित रूप से शब्दबद्ध नहीं हैं क्योंकि संदर्भ की ये शर्तें पक्षों के बीच वास्तविक विवाद को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। संदर्भ में यह माना गया है कि उत्तरदाता- कर्मचारी अपीलार्थी के कर्मचारी हैं। संदर्भ इस आधार पर भी आगे बढ़ता है कि उनकी सेवाओं को मेसर्स लाफार्ज को "स्थानांतरित" कर दिया गया है। इन अनुमानों पर न्यायनिर्णयन का सीमित दायरा यह तय करने तक सीमित है कि क्या अपीलार्थी इन कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने के लिए बाध्य है। जाहिर है, यह पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का प्रतिबिंब नहीं है। यह न केवल उत्तरदाता कामगारों के संस्करण को दर्शाता है, बल्कि वास्तव में उसी को स्वीकार करता है। वे अपीलार्थी के कर्मचारी हैं और श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण को केवल यह निर्णय लेने का आदेश देते हैं कि क्या अपीलार्थी को उन्हें अपने गुट में वापस लेने की आवश्यकता है। इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलार्थी द्वारा स्थापित मामला यह है कि यह मेसर्स लाफार्ज को कामगारों के स्थानांतरण का मामला नहीं था, बल्कि उनकी सेवाओं को मेसर्स लाफार्ज द्वारा ले लिया गया था। मेसर्स लाफार्ज जो पूरी तरह से एक अलग कंपनी/इकाई है के अनुसार एक अपीलार्थी को नए नियोक्ता द्वारा नए नियुक्ति पत्र जारी किए गए और अपीलार्थी और कामगारों के बीच नियोक्ता- कर्मचारी का संबंध टूट गया।

अपीलार्थी का यह संस्करण मामले की जड़ तक जाता है। न केवल यह संदर्भ में शामिल नहीं है, बल्कि अपीलार्थी का इसे अपने बचाव के रूप में रखने का अधिकार, एक अवज्ञाकारी के रूप में, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जिस तरह से संदर्भों को शब्दबद्ध किया गया है, उसे छीन लिया गया है।

13. हम इसे जोड़ने में जल्दबाजी करेंगे, हालांकि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र संदर्भ की शर्तों तक ही सीमित है, लेकिन साथ ही साथ आनुषंगिक मुद्दों में जाने का अधिकार है। यदि संदर्भ को उचित रूप से लिखा गया था, जैसा कि इस निर्णय में बाद में चर्चा की गई थी, तो शायद अपीलार्थी के लिए यह तर्क देने और यह साबित करने के लिए खुला था कि प्रत्यर्थी कामगार उनके कर्मचारी नहीं रहे। हालाँकि, वर्तमान प्रपत्र में दिया गया संदर्भ अपीलार्थी के लिए उस गुंजाइश को बिल्कुल नहीं छोड़ता है।

14. भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ 1982 (लैब) आईसी 1309 इस प्रकृति यानी "संदर्भ की शर्त" के मुद्दे से निपटने के लिए एक अवसर था । विभिन्न रिट याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की गई और रिट याचिकाओं को सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया। रिट याचिकाओं में से एक, जिसमें यह मुद्दा उठा था, सी.डब्ल्यू.पी. नं. 1472/1981 था । प्रबंधन के सोना रूपा रेस्तरां के मिठाई काउंटर पर काम करने वाले एक कर्मचारी को एफ ग्राहकों को बेची गई मिठाइयों की बिक्री आय का दुरुपयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। हालांकि शुरू में उसने चोरी को स्वीकार किया, लेकिन बाद में उसने अन्य कर्मचारियों को उग्रवादी और हिंसक कृत्यों का सहारा लेने के लिए उकसाया, जिसमें विभिन्न श्रमिक शामिल हो गए और काम से दूर रहे।

श्रमिकों की हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों को देखते हुए, प्रबंधन ने रेस्तरां को बंद करने का फैसला किया और तदनुसार श्रमिकों को सूचित किया। बंद करने की सूचना जारी की गई थी जिसमें कामगारों को सूचित किया गया था कि उनके खातों का पूर्ण और अंतिम रूप से निपटान किया जाएगा। श्रमिकों ने श्रम विभाग से संपर्क किया और यह आरोप लगाते हुए विवाद उठाया कि प्रबंधन द्वारा "तालाबंदी" घोषित की गई थी। प्रबंधन सुलह की कार्यवाही में उपस्थित हुआ और कहा कि यह रेस्तरां के "बंद" होने का मामला था न कि तालाबंदी का।

चूंकि सुलह की कार्यवाही विफल हो गई थी, इसलिए मामले को उपयुक्त सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली को निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ निर्णय के लिए भेजा गया थाः

> "क्या अनुलग्नक में दिखाए गए श्रमिक लॉक- आउट प्रभावी की अवधि के लिए 1.1.81 तिथि से मजदूरी के हकदार हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्देश आवश्यक हैं।

15. प्रबंधन ने अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें इस याचिका पर संदर्भ की अधिसूचना को चुनौती दी गई कि तालाबंदी सी के अस्तित्व या अन्यथा के बारे में वास्तविक विवाद का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके बजाय लॉक-आउट को संदर्भ में ही कल्पना के आधार पर और परिणाम के साथ काल्पनिक आधार पर माना गया था, यह प्रबंधन के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष यह आग्रह करने के लिए खुला नहीं था कि क्या कोई लॉक-आउट था, और इसके बजाय यह बंद करने का मामला था, जो श्रमिकों के हिंसक रवैये से प्रेरित था। उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को इस सादृश्य पर स्वीकार किया कि औद्योगिक विवादों में न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से उसके निर्णय के लिए निर्दिष्ट बिंदुओं और उससे संबंधित मामलों तक सीमित है और उसके लिए संदर्भ की शर्तों से परे जाने की अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय ने आगे बताया कि हालांकि तालाबंदी का अस्तित्व ही प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच वास्तविक विवाद था, लेकिन संदर्भ की शर्तें इस धारणा पर आगे बढ़ीं कि प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी थी। इस तरह प्रबंधन को औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष यह साबित करने से रोक दिया गया कि कोई तालाबंदी नहीं थी और वास्तव में यह एफ बंद करने का मामला था। इस प्रकार, पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का उल्लेख नहीं किया गया था कि क्या कोई तालाबंदी थी या क्या श्रमिकों द्वारा हिंसा हुई थी जिसने प्रबंधन को रेस्तरां बंद करने के लिए मजबूर किया था।

16. बाद में इस फैसले के बाद मूलचंद खराटी राम अस्पताल बनाम श्रम आयुक्त और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ जी ने फैसला सुनाया। 1998 (आईएल) एलएलजे 1139 डेल, जहां यह भी विवाद था कि क्या श्रमिकों ने हड़ताल का सहारा लिया था, जैसा कि प्रबंधन द्वारा तर्क दिया गया था या यह प्रबंधन है जिसने तालाबंदी घोषित की थी, जो एच

कामगारों का एक स्टैंड। हालांकि, संदर्भ की शर्तें निर्धारित थीं: क्या श्रमिक तालाबंदी अवधि के लिए मजदूरी के हकदार थे? न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि तालाबंदी के अस्तित्व के बारे में विवाद था, इसलिए इस तरह का संदर्भ प्रबंधन को यह साबित करने की अनुमति नहीं देगा कि यह वास्तव में श्रमिकों द्वारा की गई "हड़ताल" का मामला था।
तदनुसार संदर्भ को रद्द कर दिया गया। अदालत ने आईटीडीसी में पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया(पूर्व). इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को इस प्रस्ताव के लिए भी संदर्भित किया गया था कि न्यायाधिकरण की अधिकारिता उस सीमा तक सीमित है जिसे सी संदर्भित किया गया है। हम निर्णय के उस भाग को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे जहाँ इस न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा की गई है:-
डी ई एफ जी एच

> "25. एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास बनाम श्रमिक और अन्य, एम. ए. एन. यू./एस. सी./0267/1962: (1962) 11 एल. एल. जे. 227. एस. सी. के प्रबंधन के मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्य ने यह अभिनिर्धारित किया कि "चूंकि धारा 10 के अधीन निर्दिष्ट औद्योगिक विवादों से निपटने में औद्योगिक अधिकरण की अधिकारिता धारा 10 (4) द्वारा निर्देश में विनिर्दिष्ट बिन्दु और उसके आनुषंगिक मामलों तक सीमित है, इसलिए समुचित सरकार को संदर्भ के सुसंगत आदेशों को सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए और जिन प्रश्नों का औद्योगिक अधिकरण द्वारा विचारण किया जाना अभिप्रेत है, उन्हें इस प्रकार शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि अस्पष्टता या विवाद के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ें। जल्दबाजी में तैयार किया गया या अनौपचारिक तरीके से तैयार किया गया संदर्भ आदेश अक्सर अनावश्यक विवादों को जन्म देता है और इस तरह औद्योगिक निर्णय के जीवन को बढ़ाता है जिससे हमेशा बचा जाना चाहिए।

26. सिंधु पुनर्वास निगम लिमिटेड बनाम गुजरात का औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य। मनु/अनुसूचित जाति/0233/1967: (1968) 1एलएलजे834एससी, उनके उच्चतम न्यायालय के अधिपत्यों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन संदर्भ का प्रारूप तैयार करने के महत्व पर बल दिया है। इस मामले में पी. 839 के तहत यह देखा गया है:

"यदि कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन ए के साथ कोई विवाद नहीं उठाया जाता है, तो उनके द्वारा सरकार को भेजा गया कोई भी अनुरोध केवल उनकी मांग होगी, न कि उनके और उनके नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद। एक औद्योगिक विवाद, जैसा कि परिभाषित किया गया है, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच एक विवाद होना चाहिए। बी.

सरकार को यह राय रखनी होगी कि एक औद्योगिक विवाद मौजूद है और यह राय केवल इस आधार पर बनाई जा सकती है कि कर्मचारी और नियोक्ता के बीच विवाद था।

जहां छंटनी किए गए कर्मचारी और संघ ने अपनी मांग को प्रबंधन से छंटनी मुआवजे के लिए सीमित कर दिया था और बहाली के लिए कोई मांग नहीं की थी, वहां बहाली के संबंध में धारा 10 के तहत सरकार द्वारा किया गया संदर्भ सक्षम नहीं है।

17. मूलचंद खराती राम अस्पताल बनाम श्रम आयुक्त और अन्य मामलों में उपरोक्त निर्णय के खिलाफ अपीलों को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। 2002 (10) एससीसी 708. इससे पता चलता है कि उपरोक्त मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा प्रमुखता नहीं दी गई है।

18. डी. ई. औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय उस क़ानून का एक हिस्सा है। यह उसे दिए गए संदर्भ के आधार पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त करता है। न्यायाधिकरण को स्वयं को विषय एफ के दायरे में सीमित रखना होगा और इससे आगे नहीं जा सकता है। नेशनल इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले सहित कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा यह दृष्टिकोण लिया गया है। 2000 (1) एससीसी 371।

19. यही कारण है कि यह उपयुक्त सरकार का बाध्य कर्तव्य जी बन जाता है कि वह उचित रूप से संदर्भ बनाए जो पक्षों के बीच "विवाद" की वास्तविक/सटीक प्रकृति को दर्शाता है। तत्काल मामले में, विवाद की जड़ यह है कि क्या प्रत्यर्थी कामगारों को केवल ऐप-अपीलार्थी द्वारा मिस को स्थानांतरित किया गया था। लाफार्ज या उनका एच

मिस द्वारा एक सेवाएँ ले ली गईं। लाफार्ज और वे मेसर्स के कर्मचारी बन गए। लाफार्ज। दूसरा आनुषंगिक प्रश्न जो इसके बाद आएगा वह यह होगा कि क्या उन्हें वेतन आदि सहित अपनी सेवा शर्तों के मामले में अपीलार्थी के साथ सेवाओं में वापस शामिल होने का अधिकार है। जो वे अपीलार्थी के साथ बी का आनंद ले रहे थे, वे मेसर्स द्वारा नहीं दिए गए हैं या संरक्षित नहीं हैं। लाफार्ज?

यदि यह साबित हो जाता है कि उनकी सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो एक और सवाल यह होगा कि क्या वे मेसर्स से सेवा लाभ/सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। लाफार्ज या उन्हें अपीलार्थी के पास वापस जाने का अधिकार है?

C

20. उपर्युक्त से यह पता चलता है कि वर्तमान रूप में संदर्भ स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण है क्योंकि यह पक्षों के बीच विवाद की सही और सटीक प्रकृति का ध्यान नहीं रखता है।

इसके विपरीत, जिस तरीके से संदर्भ लिखा गया है, उससे पता चलता है कि यह पहले ही निर्णय लिया जा चुका है कि प्रत्यर्थी डी कार्यकर्ता अपीलार्थी के कर्मचारी बने रहेंगे और आगे यह कि उनकी सेवाओं को केवल मेसर्स को हस्तांतरित कर दिया गया था। लाफार्ज। यह अपीलार्थी को अपना मामला पेश करने और साबित करने से रोकेगा क्योंकि यह श्रम न्यायालय को उन मुद्दों पर जाने से रोकेगा। इसका यह भी तात्पर्य है कि ऐसा मानते हुए, उपयुक्त ई सरकार ने स्वयं उन विवादास्पद मुद्दों का निर्णय लिया है और एक न्यायनिर्णायक की भूमिका ग्रहण की है, जो अन्यथा, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण के लिए आरक्षित है।

21. नतीजतन, इस अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। सेक्विटुर से एफ जो वर्तमान रूप में दिए गए संदर्भों को रद्द करने के लिए होगा। तथापि, उसी समय, उपयुक्त सरकार को इस निर्णय में चर्चा किए गए विवाद के वास्तविक सार को शामिल करते हुए, जी की प्रति इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर नया संदर्भ देने का निर्देश दिया जाता है।

एच

22. अपील की अनुमति दी जाती है और व्यय के रूप में कोई आदेश के साथ उपरोक्त टर्म में निपटाया जाता है।

आर.पी. **अपीलों की अनुमति दी गई।**

यह अनुवाद (सुधीर), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।